भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403] No. 403] दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2017/कार्तिक 18, 1939

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 319

DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2017/KARTIKA 18, 1939

[N.C.T.D. No. 319

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 नवम्बर, 2017

फा.सं. 61/(1000)/क्रियेशन ऑफ सीडब्ल्यूसी—IX/डीडी(सीपीयू)/डीडब्ल्यूसीडी/2016/36272—302—िकशोर न्याय (बच्चों की देखमाल एंव सुरक्षा) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 27 की उपधारा (1), (2) व (6) के खंड 2 के धारा 59 के अन्तर्गत उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हर्ष के साथ बाल कल्याण समिति—IX में निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों को निर्वाचित करते है, यह समिति उपरोक्त अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों व कर्तव्यों का प्रयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बच्चों की देखमाल व सरक्षा हेत् कार्य करेगीं :—

क्र.सं.	बाल कल्याण समिति	नाम पता और फोन न.	अध्यक्ष और सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बाल कल्याण समिति—IX, कम्युनिटी सेन्टर, पालिका धाम, नियर काली मंदिर, गोल मार्किट, नई दिल्ली—110001	श्री देवेन्द्र नाथ अग्रवाल जी—202, इलीट होम्ज, सेक्टर 77, नोएडा—201301 मो.न. 9198938545	अध्यक्ष
		श्रीमती चितवन तोमर, यूजी—1, प्लाट न. 805 शांतिदीप अर्पाटमेन्ट, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन—1, शाहिबाबाद, गाजियाबाद (यू.पी.) — 201005	सदस्य
		श्रीमती उर्मिल शर्मा बी–4, 87, 88, रोहिणी, सेक्टर–11, दिल्ली–110085 मो.न. 9873285105	सदस्य

श्रीमती अपण	सिंह,	सदस्य
डी-11/359	, विनय मार्ग,	
चाणक्य पुरी,		
नई दिल्ली-	10021	
मो.न. 98101	63000	
श्री शिजी थॉ	मस,	सदस्य
होली फैम	ली कॉन्वेंट, शालीमार गार्डन	
एक्सटेंशन—1	, 534, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग,	
शाहिबाबाद,	गाजियाबाद	
(यू.पी.)—2010		
मो.न. 07836		

उपरोक्त बाल कल्याण समिति—IX के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

यह बाल कल्याण समिति किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) नियम, 2016 के अनुसार कार्य करेगीं। यह बाल कल्याण समिति सप्ताह में पांच दिन प्रातः 10.00 बजे से 5.00 बजे तक कार्य करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

पी.सी. जैन, विशेष सचिव,

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 8th November, 2017

F. No. 61/(1000)/Creation of CWC-IX/DD(CPU)/DWCD/2016/36272-301.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (2) and (6) of section 27 read with sub-section (59) of section 2 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate the following persons as Chairperson and Members in Child Welfare Committee-IX. They shall exercise the powers and discharge the duties conferred or assigned to such Committee in relation to the children in need of care and protection under the said Act, in the National Capital Territory of Delhi, namely:—

Sl.	Child Welfare Committee	Name, Address	Chairperson
No.		& Phone No.	& Members
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Child Welfare Committee-IX,	Sh. Devendra Nath Agarwal	Chairperson
	Community Centre, Palika Dham, Near Kali Mandir, Gole Market, New Delhi- 110001	G-202, Elite Homz,	_
		Sector 77, Noida – 201301	
		Mob: 9198938545	
		Ms. Chitwan Tomar	Member
		UG-I, Plot No. 805	
		Shantideep Apartment,	
		Shalimar Garden Extension-I,	
		Sahibabad, Ghaziabad (U.P.) -	
		201005	
		Ms. Urmil Sharma	Member
		B-4, 87, 88, Rohini,	
		Sector 11, Delhi – 110085	
		Mob: 9873285105	
		Ms. Aparna Singh	Member
		D-II/359, Vinay Marg, Chanakya	
		Puri,	

New Delhi-110021	
Mob:- 9810163000	
Ms. Shiji Thomas	Member
Holy Family Convent,	
Shalimar Garden, ExtnI	
534, Single Storey Building,	
Sahibabad, Ghaziabad (U.P) -	
201005	
Mob: 07836996740	

The aforesaid Chairperson and Members of Child Welfare Committee-IX shall function from their designated premises for the period of three years from the date of notification. The Child Welfare Committee shall function in terms of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 and Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Model Rules, 2016 on <u>all working days from 10.00 am to 5.00 pm.</u>

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

P.C. JAIN, Special Secy.,